राजस्व परिषद उत्तराखण्ड़, सर्किट न्यायालय नैनीताल।

निगरानी संख्या – 47 वर्ष 2006–07 (अन्तर्गत धारा--219 भू0रा0अधि0)

निगरानीकर्तागण– 1–माया देवी पत्नी स्व0 राम दत्त
2–भुवन चन्द्र
3–तरूण कुमार पुत्रगण स्व0 राम दत्त
4–नन्दा बल्लभ पुत्र नारायण दत्त
निवासीगण ग्राम गोविन्दपुर तहसील गदरपुर, जिला उधमसिंहनगर।

बनाम

उत्तरदातागण– 1–उत्तराखण्ड राज्य द्वारा कलेक्टर, उधमसिंहनगर।
2–परमानन्द पुत्र शिवदत्त, निवासी ग्राम गोविन्दपुर तहसील गदरपुर, जिला उधमसिंहनगर।

आदेश

यह निगरानी निगरानीकर्तागण उपरोक्त द्वारा जिलाधिकारी/अभिलेख अधिकारी उधमसिंह नगर के निर्णयादेश दिनॉक 13/3/2006 जो कि निगरानी संख्या 52/147 वर्ष 2000–01 उत्तरॉचल (अब उत्तराखण्ड) राज्य द्वारा कलेक्टर उधमसिंह नगर बनाम रामदत्त पुत्र नारायण दत्त (मृतक) 1/1–मायादेवी आदि में पारित किया गया है, के विरूद्व इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना धारा–5 मर्यादा अधिनियम को सुने 04 वर्ष 3 माह बाद बिलम्ब माफ कर आदेश पारित किया है, जबकि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है इसलिये अवर न्यायालय का आक्षेपित आदेश विधि एंव तथ्यों के विपरीत है।

इस निगरानी की संक्षिप्त पृष्ठभूमि इस प्रकार है :–

सम्बन्धित सर्वे नायब तहसीलदार द्वारा सहायक अभिलेख अधिकारी, उधमसिंह नगर को अपनी दिनॉकरहित आख्या से अवगत कराया कि ग्राम गोबिन्दपुर तहसील गदरपुर की वर्तमान खतौनी के खाता संख्या 159 में अंकित गाटा संख्या 48 से बनी हाल गाटा संख्या 251क रक्वा 1.012हे0 पर खाते में परमानन्द पुत्र शिवदत्त का नाम वर्ग–1ख में 1383 फसली से दर्ज है एवं मौके पर रामदत्त, नन्दाबल्लभ पुत्रगण नारायणदत्त का कब्जा 10 वर्ष से बताया गया है। चूँकि समझौता उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है इसलिए दोनों पक्षों को सहायक अभिलेख अधिकारी के न्यायालय में उपस्थित होने हेतु नोटिस दिया गया। सहायक अभिलेख अधिकारी के न्यायालय में वाद संख्या 2409 वर्ष 1996–97 अन्तर्गत धारा 54 भू0रा0अधि0 रामदत्त आदि बनाम परमानन्द दर्ज हुआ एवं न्यायालय द्वारा प्रतिवादी परमानन्द के बावजूद सूचना के उपस्थित न आने व वादीगण की सुनवाई के उपरान्त उक्त वर्णित भूमि परमानन्द के नाम से निरस्त कर रामदत्त, नन्दाबल्लभ पुत्रगण नारायणदत्त के नाम दर्ज करने के आदेश दिनॉक 11/3/1997 को

पारित किये। इस आदेश से क्षुब्ध होकर राज्य सरकार द्वारा कलेक्टर उधमसिंह नगर के द्वारा अभिलेख अधिकारी उधमसिंह नगर के समक्ष निगरानी संख्या 52/147 वर्ष 2000–20001 उत्तरॉचल (अब उत्तराखण्ड) बनाम रामदत्त योजित की गयी जिसे न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनॉक 13/3/2006 से स्वीकार कर सहायक अभिलेख अधिकारी का आदेश निरस्त कर दिया जिसके विरूद्व यह निगरानी संस्थित है।

आज पत्रावली प्रस्तुत हुई। निगरानीकर्तागण अनुपस्थित हैं। निगरानीकर्तागण द्वारा उत्तरदातागण पर नोटिस/सम्मन की तामीली हेतु समाचार पत्र में प्रकाशन सम्बन्धी आदेश दिनांक 01/8/2014 का अध्यतन पालन नहीं किया गया है एंव उनके द्वारा निगरानी के संचालन में कोई रूचि नहीं प्रर्दशित की जा रही है। अतः निगरानी के non-prosecution के लिए निगरानी की कार्यवाही समाप्त की जानी समीचीन है।

इसके अतिरिक्त अभिलेख अधिकारी/कलेक्टर उधमसिंह नगर के आक्षेपित निर्णयादेश दिनॉक 13/3/2006 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि विवादित भूमि गवर्नमेन्ट ग्रान्ट एक्ट के अन्तर्गत पट्टागत भूमि है एंव पट्टेदार को पट्टागत भूमि अन्तरित करने का अधिकार नहीं है एवं सहायक अभिलेख अधिकारी के न्यायालय में सरकार को न तो पक्षकार बनाया गया है अथवा न ही सुना भी गया है। तदनुसार विद्वान अभिलेख अधिकारी ने सहायक अभिलेख अधिकारी के आदेश दिनॉक 11/3/1997 को उचित रूप से अपास्त किया है जिसमें कोई त्रुटि अथवा अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है।

निगरानी उपरोक्त के दृष्टिगत अस्वीकार की जाती है। इस आदेश की एक प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली वापस की जाय। इस न्यायालय की पत्रावली संचित अभिलेखागार हो।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।

आदेश आज दिनॉक 22/9/2017 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, उद्घोषित एवं दिनॉकित।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।